राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

; प.10(7)निविवि/3/2009पार्ट—॥

जयपुर, दिनांक :- 2.09.2.17

व, ुर विकास प्राधिकरण, पुर।

विषय:- ग्रीन बिल्डिंग्स में प्रोत्साहन एफ.ए.आर. दिये जाने गादत ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्र**मांक** ज.वि.प्रा. / अस्ति.मु.न.नि. / बीपीसी / 2014 /डी-

शिदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदन के प्रश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण ्यपुर रीजन भवना विनियम 2010 के विनियम 19.7.21 के पश्चात् निम्नानुसार प्रावधान नोड़े जाने की स्वैकृति प्रदान की जाती हैं :-

'विनियम सं. 19.7.22 :--

5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किव जाने पर अनुज्ञेय एफ ए.आर. के अतिरिक्त 5 प्रतिशत (0.05) एफ ए. आर. नि.शुक्क निम्न शर्तों की पूर्ति किये जाने पर देय होगा :-

- () प्रकार भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया हो तथा लीडरशिप इन एनर्जी एष्ड एन्वायरमेन्टल डिजायन (LEED) द्वारा "गोल्ड" अथवा "प्लेटिनम" रिटेंग दी गई हो।
- (ii) व्यूरों ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी, भारत सरकार द्वारा एनर्जी एफिशियन्सी के आवधानों के लिए प्रश्नगत भवन की अनुशंषा की गई हो।
 - (iii) प्रशापत भवन में पार्किंग व लैण्ड-स्केपिंग के प्रचलित विनियमों में दिवे गये प्रावधानों की अनुपालना की गई हो।
 - (iv) प्रश्नगत भवन में अतिरिक्त एफ.ए.आर. उपयोग किये जाने के लिए भवन विनिधमान्सार आवश्यक प्रावणान किये गये हो।

कार प्रतिक है तिर्पाता का प्रतिक 3 वर्ष के बहु भीन विकित्स के मानहण्यी की पूर्विक सर्वाद में ली दरशिष इन एनजी एण्ड एनायरमेन्टल डिजाबन (CLED) कर प्रकट प्रति लगा ल्यूसे भींप एनजी एकिशियनी की प्रमुखपा प्राप्त कर प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी। यदि भवन मालिक, निर्माता द्वारा उदल प्रमाण-पन्न निर्धारित समय पर प्राधिकरण में नहीं दिया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रमाण-पन्न ५० दिन की अवधि में उपलब्ध कराने का नोटिस दिया जायेगा। नोटिस अवधि के उपरानः भी भवन मालिक द्वारा उक्त प्रमाण-पन्न प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराये जाने की रिथिति में आवेदक को अनुज्ञेय किये गये 0.05 निःशुल्क एफ ए.आर पर वैटरमेन्ट लेवी के 200 प्रतिरात की दर से राशि वसूल की जायेगी।

5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षत्रफल के मूखण्डों पर वर्तमान में निर्दित भवन को ग्रीन बिल्डिंग में परिवर्तित किये जाने पर अनुझेय एफ.ए.आर. के अतिरिक्त 5 पतिशत (0.05) एफ.ए.आर निःशुक्क देय होगा वशर्ते क सं 1 (i) से (iv) पर अकित शतों की अनुपालना की गई हो।

भवदीय, (राजेन्द्र सिंह शेखावत) संयुक्त शासन सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1 सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
- २ निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- उ. सादिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
- 4. संयुक्त शासन राचिव-प्रथम नगरोय विकास विभाग।
- 5. उप शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभागः

दः राम्रा अभिन प्रमापाकी । प्राचन अभिन अन्ति । वि. वि. क्रिक्त सामन सन्चिव-तृतीय